भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3615

(जिसका उत्तर सोमवार, 20 दिसंबर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया)

सी.एस.आर व्यय के लिए नॉर्म्स

3615. श्री रमेश चन्द्र माझीः

डॉ. राजश्री मल्लिकः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) कोष से व्यय के लिए उद्योगों और तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के लिए स्थापित मानकों और प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा में नवरंगपुर, मलकान गिरी, कोरापुट और जगतसिंहपुर जिलों में इनकी पिछड़ेपन को देखते हुए इन जिलों में विकास गतिविधियों के लिए राज्य में तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के सी.एस.आर. कोष की पूरी राशि को खर्च करने के लिए निर्देश जारी करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त निर्देश कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान ओडिशा के नवरंगपुर, मलकानगिरी, कोरापुट और जगतसिंहपुर जिलों में चल रही कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. कोष के अंतर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 135, प्रत्येक कंपनी, तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों सहित, जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, अथवा टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, अथवा

निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, को कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय

जारी...2/-

सीएसआर के लिए करने का अधिदेश देती है। सीएसआर संबंधी किए गए कार्यकलाप इस अधिनियम की अनुसूची-VII में निर्दिष्ट विषयों और क्षेत्रों से संबंधित होने चाहिए। सीएसआर के संबंध में संचालन फ्रेमवर्क कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में निहित है।

अधिनियम की धारा 135(5) के प्रथम परंतुक में यह प्रावधान है कि कंपनी अपने स्थानीय क्षेत्रों और अपने परिचालन के आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। यद्यपि, स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देना निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है और कंपनियों को स्थानीय क्षेत्रों की प्राथमिकता और राष्ट्रीय वरीयता में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसे दिनांक 25.08.2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 के द्वारा जारी किए गए सीएसआर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है। अधिनियम के तहत सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उनके संबंध में निर्णय लेने, उन्हें कार्यान्वित करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सरकार किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या कार्यकलाप पर व्यय करने के लिए कंपनियों को कोई विशेष निदेश जारी नहीं करती।

(ङ): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर से संबंधित फाइल किया गया समस्त डाटा सार्वजनिक डोमेन www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान ओडिशा के नवरंगपुर, मलकानगिरी, कोरापुट और जगतसिंहपुर जिलों में, इन जिलों में संचालित कंपनियों सहित सभी कंपनियों द्वारा किया गया सीएसआर व्यय निम्नानुसार है:

ओडिशा राज्य में जिला-वार सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)						
जिला	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21	कुल राशि
नवरंगपुर	-	1.46	1.98	0.01	-	3.45
मलकानगिरी	-	0.25	0.04	0.02	-	0.31
कोरापुट	12.01	1.59	2.23	14.81	0.05	30.69
जगतसिंहपुर	-	-	2.19	5.65	0.56	8.40

(डाटा 30.09.2021 तक) [स्रोत : राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर डाटा के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छह महीने के भीतर अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करें। इसके पश्चात्, वित्तीय विवरण और कारपोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में प्रकटन संबंधी बोर्ड की रिपोर्ट एजीएम के आयोजन से 30 दिनों की अवधि के भीतर एमसीए21 में फाइल की जानी अपेक्षित हैं। मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2021 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में वित्तीय विवरण फाइल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क की वसूली के संबंध में 31 दिसंबर, 2021 तक की रियायत दी है।

*****